

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो वीणा शंभुदास लक्षर 2. वर्तमान धारित पद उप प्रबंधक

3. वर्तमान वेतन १३७५५ रु. अगली वेतनवृद्धि का तारीख —

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौर		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौर	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(1) लक्ष्मण विहार कालोनी, इंदौर कनकिया रोड	डूप्लेक्स	—	25.00 लाख लगभग	स्वयं के नाम से	फरवरी 2007 में पुत्र के द्वारा क्रय दिया गया (एच.डी.एफ से) इंदौर से श्रद्धा लिया	750000/-	—
(2) गोकुल शंभुदास बस श्रीपाल	—	भूमि	6 लाख लगभग	स्वयं के नाम से	पुत्र के द्वारा क्रय दिया गया	निश्च	—
(3) शंभुदास, अहमदनगर रोड, पुणे	डूप्लेक्स	—	40 लाख लगभग	स्वयं के नाम से	पुत्र के द्वारा क्रय दिया गया (एच.डी.एफ से) श्रद्धा लिया गया (स्वयं के बचत शासी से) नवम्बर 2009 में	निश्च	—

* - जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अचल सम्पत्ति के ब्यौर दें।

हस्ताक्षर V. S. Khandekar
6/5/2010
 नाम वीणा शंभुदास लक्षर
 पद उप प्रबंधक